भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
केंद्रीय कमेटी

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–04 अप्रैल, 2018

एससी, एसटी (अत्याचार निवारण) कानून, 1989 को कमजोर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले एवं सरकार के दलित–आदिवासी विरोधी रवैए की निंदा!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी एससी एसटी (अत्याचार निवारण कानून), 1989 को कमजोर करते हुए दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले एवं इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार के दलित व आदिवासी विरोधी रवैए की कड़े शब्दों में निंदा करती है. साथ ही इस फैसले के खिलाफ दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के दौरान हुई कई दलितों की हत्या एवं शासन–प्रशासन व पुलिस की दलित विरोधी कार्यप्रणाली की तीव्र भर्त्सना करती है. देश के सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से यह एक बार और साफ तौर पर साबित हो गया है कि भारत की न्यायपालिका न स्वतंत्र है और न ही धर्मनिरपेक्ष. वह ब्राह्मणीय हिंदुत्व जातिवादी रंग में रंगा है और दलित व आदिवासी प्रतिकूल चरित्र की है. केंद्र में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी संघ परिवार की भाजपा जब से सत्तारूढ़ हुई, तब से न्यायपालिका सहित राज्ययंत्र के तमाम संस्थाओं, व्यवस्थाओं, संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों का भगवाकरण तेजी से बढ़ा है. शासन, प्रशासन, पुलिस, सेना के प्रत्यक्ष संरक्षण, समर्थन व संवर्धन में यह सिलसिला बेरोकटोक जारी है. इसी का हिस्सा है, हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला और केंद्र सरकार का इस मामले में दलित व आदिवासी विरोधी रवैया.

देश के दलितों व आदिवासियों को गैर दलितों विशेषकर कथित ऊंची जातियों के दुरहंकारियों द्वारा हल्की व नीच नजरिए से देखने व जातिवाचक शब्दों का प्रयोग करके गाली–गलौच करने, उन पर अत्याचार करने के खिलाफ एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून, 1989 बनाया गया था. हालांकि सदियों से ब्राह्मणीय हिंदुत्व मनुवादी जातिप्रथा का दंश झेल रहे दलितों व आदिवासियों के लिए यह मात्र आंसूपोंछ कानून ही है, और इसका अमल नाममात्र का ही हो रहा है और इसका जातिवाद की समाप्ति या सबकी बराबरी से दूर–दूर तक कोई लेना–देना नहीं है, फिर भी हिंदुत्व कट्टरपंथी विचारधारा वालों को यह कानून फूटी आंखों नहीं सुहाता है. इसीलिए भाजपा शासनकाल के दौरान इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी है. इस केस में भारत सरकार भी एक पार्टी थी और उसने कानून के पक्ष में जानबूझकर अपनी ओर से मजबूत दलीलें पेश नहीं की. उल्टे अपने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल वेणुगोपाल के माध्यम से यह पैरवी करवायी कि इस कानून के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत पाने की अनुमति देने पर केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है. यह वर्तमान एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून को और कमजोर करने व उच्च जातीय प्रभुत्व को बरकरार रखने की सरकार की सोची–समझी चाल है. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दलित व आदिवासी विरोधी फैसले में एससी एसटी कानून के प्रावधानों को कमजोर करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार न करने व अग्रिम जमानत हासिल करने तथा 7 दिनों के भीतर जांच–पड़ताल पूरा करने की व्यवस्था दी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जब देश भर में विरोध दर्ज होने लगा, भारत बंद के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की और कई दलितों की हत्या हुई तब जाकर सरकार फैसले के खिलाफ पूरे दस दिन बाद पुनरीक्षण याचिका दायर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर स्थगनादेश देने से इनकार किया जोकि सुप्रीम कोर्ट के उच्च जातिवादी अड़ियल रवैए का ही परिचायक है. इस पूरी समयावधि के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा चुप्पी साधना स्वयमेव यह साबित करता है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है.

सच्चाई यह है कि दलितों पर अत्याचारों को रोकने के मामले में एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून शुरुआत से ही बारंबार अपर्याप्त, अक्षम व असहाय साबित हो रहा है. इसके अमल पर राज्ययंत्र के तीनों हिस्से–विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जानबूझकर एक समान आपराधिक लापरवाही बरत रहे हैं. दलित व आदिवासी आंदोलनों के दबाव में विधायिका ने कानून तो बना लिया लेकिन उसके अमल पर पानी फेरने के मामले में करीबन सभी संसदीय राजनीतिक दलों का रवैया एक बराबर है. कोई इसके तहत मामला दर्ज करने को पुलिस के लिए सिरदर्द कहता है तो कोई इसे बदलने व बंद करने की वकालत करता है. विगत में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने खुले तौर पर और बेशर्मी से एससी एसटी कानूने के खिलाफ बयान दे चुके थे. 1997 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने इस कानून को खत्म करने की बात कही. यहां तक कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने भी बदलते राजनीतिक समीकरणों व उच्च जातियों के उच्च वर्ग के लोगों के

साथ स्वार्थी गंठजोड़ के चलते पुलिस को आदेश दिया था कि जिलाधीश के अनुमोदन के बगैर एससी एसटी कानून के तहत केसेस दर्ज न करें. पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सीपीआई(एम) सरकार ने अपने इस मत कि दलितों पर हिंसा जातीय आधार पर नहीं हो रही है, इस कानून के तहत केसेस दर्ज नहीं कर रही थी.

एससी एसटी कानून में हालांकि कुछेक दलित व आदिवासी अनुकूल प्रावधान हैं जैसे इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने में, दलितों व आदिवासियों पर अत्याचार रोकने में लापरवाही बरतने वाले गैर दलित व गैर आदिवासी पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों पर 6 माह से लेकर 1 साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान इस कानून की सेक्शन–4 में है. संभावित अपराधियों को अनुसूचित व आदिवासी इलाकों से बहिष्कार करने विशेष न्यायालयों को यह कानून अधिकार देता है. अपराधी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है. संभावित अपराधी को अग्रिम जमानत देने से रोकने का प्रावधान है. पीड़ितों या उनके कानूनी वारिशों को मुआवजा दिलाने व अपराधी पर सामूहिक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. लेकिन इन सबके बावजूद सिर्फ एक ही झटके से कि अपराध के पीछे जातीय उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ है, न्यायपालिका अपराधी को इस कानून के दायरे में लाने से इनकार करती है. इस तरह इस कानून को राज्ययंत्र ने मृत बना दिया है. यहां यह बताना लाजिमी होगा कि खैरलांजी जैसे जगजाहिर मामले जिसमें जातिवाचक गाली–गलौच के साथ बेदम पिटाई करके बोटमांगे परिवार की 2 महिलाओं सहित 4 की निर्मम हत्या की गयी थी, में तीन गवाहों की स्पष्ट गवाही के बावजूद भंडारा सत्र न्यायालय ने आरोपियों को एससी एसटी कानून के दायरे में लाने से मना कर दिया था और 47 आरोपियों में से मात्र 11 के खिलाफ विचारण करके सिर्फ 8 लोगों को सजा दी. अब यह कहना मुश्किल ही है कि उच्च व उच्चतम न्यायालय तक अपीलों विचारण और फैसलों की लंबी प्रक्रिया के बाद वास्तव में अपराधियों को सजा मिलेगी भी या नहीं.

इस कानून के अमल की असलियत का अव्वल दर्जे का मिसाल है, उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट गंज के दलित भाजपा सांसद छोटेलाल खरवार की व्यथा. हाल ही में जानलेवा हमले का शिकार छोटेलाल की फरियाद पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने दरोगा से लेकर एसपी तक तैयार नहीं हैं. इससे आम दलितों व आदिवासियों के हित में इस कानून के अमल की जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाना कठिन नहीं है.

देश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर एक सरसरी नजर डालने से एससी एसटी कानून के अमल की असलियत का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं. भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों पर 2011–15 के बीच हुए अपराध की घटनाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई. 2011 में 673 हत्याएं हुई जबकि 2015 में 813. महिलाओं पर अत्याचार(बलात्कार) 2011 के 1557 मामलों की तुलना में 2015 में बढ़कर 2541 हुए हैं. अपहरण की घटनाएं 2011 में 612 तो 2015 में 849. गृहदहन के मामलें 2011 में 169 उजागर हुए जबकि 2015 में 209. एससी/एसटी (प्रिवेन्शन ऑफ ऍट्रासिटीस) एक्ट के तहत दर्ज मामलें 2011 में 11342 थे और 2015 में 6005. भाजपा के सत्ता में आने के बाद थानों में इस कानून के तहत दर्ज मामलों की संख्या में काफी कमी दिख रही है. अनुसूचित जातियों पर हुए अन्य अपराध 2012 में 14164, 2015 में 27684. इनं पर किए गए विभिन्न प्रकार के हमलों की कुल संख्या 2011 में 33719 थी जबकि 2015 में यह बढ़कर 45003 हो गयी. स्पष्ट है, भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद से दलितों पर हमलों में काफी इजाफा हुई है. यहां यह याद रखना होगा कि दलितों पर जारी तमाम किस्म के अपराधों में जाति अहम मसला है. लेकिन न्यायालयों द्वारा इसे अमान्य कर दिया जाता है.

यह सर्वविदित है कि एससी एसटी कानून के बावजूद दलितों एवं आदिवासियों पर लगातार हो रहे हजारों, लाखों अत्याचार सरकारी आंकड़ों में चढ़ते ही नहीं हैं. शासक वर्गों एवं आधिपत्य जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य यंत्र अनुसूचित जातियों व जनजातियों पर होने वाले हजारों अपराधों को दर्ज किए बगैर ही छोड़ता है. पुलिस इन्हें दर्ज करने से इनकार करती है. दर्ज मामलों से अधिकांश न्यायालयों में स्थगित या अनिर्णित पड़े रहते हैं. पूरे देश में एससी/एसटी अत्याचार कानून के तहत दर्ज मामलों में सजाओं का प्रतिशत मात्र 2 के आस–पास है. इनमें से 95 प्रतिशत मामले सिर्फ पुलिस की घोर लापरवाही के चलते एवं सरकारी वकीलों (पब्लिक प्रासिक्यूटर) के संपूर्ण प्रतिकूल रुख के चलते खारिज किए जाते हैं. एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून के अमल में लापरवाही बरतने वाले इन पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ इस कानून के सेक्शन–4 के तहत कार्रवाई करने की बजाए सरकारें इन्हें पदोन्नत करती हैं.

एक तरफ उच्च जातियों के लोग एवं हिन्दु धर्मोन्मादियों द्वारा हर साल दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों एवं क्रांतिकारियों पर किए जा रहे अपराधों में गिरफ्तार लोगों की संख्या बहुत कम है और ये करीब–करीब बिना सजा के निर्दोष छोड़ दिए जाते हैं तो दूसरी ओर दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों एवं क्रांतिकारियों को काफी हद तक छोटे–छोटे अपराधों में बड़े पैमाने पर जेलों में ठूंस दिया जाता है और भारी भरकम सजाएं दी जाती हैं. नेशनल क्राईम रिकॉड्स ब्यूरो सर्वे, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2013 के मुताबिक देश की जेलों में बंद कैदियों में से 53 प्रतिशत दलित, आदिवासी एवं मुसलमान ही हैं. निरंतर चेतनत हो रहे दलितों का दमन करने के लिए उच्च जातियों के सामंती व दुष्ट मुखिया ताकतें उन पर सामूहिक अत्याचार कर रहे हैं, उनके घरों को ध्वस्त कर रहे हैं एवं दसियों की संख्या में क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या कर रहे हैं. देश में भारी सनसनी पैदा करने वाले एव चर्चित किलवेनमणि, बथानीटोला, लक्ष्मणपुर बाथे, शंकरबिगहा, कारमचेडू, चुण्डूरु, कम्बालापल्ली जैसे

घृणित व जघन्य नरसंहारों के कुख्यात मामलों में उच्च जातियों व उच्च वर्गों के सभी दोषियों को निर्दोष करार देते हुए न्यायालयों ने बेशर्मी से फैसले सुनाएं. ये सब पुलिस एवं न्याय व्यवस्था के उच्च जातीय व उच्च वर्गीय पक्षपात का स्पष्ट रूप से पर्दाफाश कर रहे हैं.

स्वयं मोदी एवं उनकी सरकार द्वारा एक तरफ डॉ. भीमराव अंबेडकर का स्तुतिगान करते हुए दूसरी ओर उनकी मूर्तिया तोड़ने वालों, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलें करके उनकी हत्या करने वालों, उनकी संस्कृति व जीवनशैली का अपमान करने वालों को संरक्षण व समर्थन दिया जा रहा है. स्वयं मोदी अपने नए भारत की घोषणा पर अमल करने तत्पर हैं जोकि वास्तव में ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भारत के सिवाय और कुछ नहीं है. मोदी का यह नया भारत दरअसल देशी, विदेशी कॉरपोरेट घरानापरस्त, उच्च जातियों का प्रभुत्व वाला एवं विभिन्न राष्ट्रीयताओं व धर्मों के अस्तित्व व अस्मिता को मिटाकर बनने वाला अखंड हिंदू राष्ट्र होगा. इसीलिए इस लक्ष्य के साथ काम करने वाली हिंदू धर्मोन्मादी संघीय ताकतें आए दिन संविधान को बदलने, आरक्षण को खत्म करने आदि कई प्रकार की अनर्गल बातें करती नजर आ रही हैं.

ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी देश के तमाम दलितों, आदिवासियों का आह्वान करती है कि वे एससी, एसटी अत्याचार निवारण कानून, 1989 को कमजोर करने के राज्ययंत्र के हर प्रकार की कोशिश के खिलाफ एवं इसके अमल को सुनिश्चित कराने के लिए आवाज बुलंद करें, सड़क पर उतरें, जुझारु आंदोलन करें, हिंदुत्व कट्टरपंथी ताकतों के हमलों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध को तेज करें. भीमा–कोरेगांव के मामले में आंदालन पर पानी फेरने वाले अवसरवादी नेताओं एवं उन जैसों से सावधान रहें. दलितों की वास्तविक व संपूर्ण मुक्ति के लिए सिर्फ कानूनी व संवैधानिक अधिकारों तक सीमित न होकर मौजूदा सामंती, दलाल नौकरशाही पूंजीपति व साम्राज्यवादी गंठजोड़ वाली राज्यसत्ता को उखाड़ फेंककर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में किसान, निम्न पूंजीपति एवं राष्ट्रीय पूंजीपति गंठजोड़ वाली जनता की जनवादी राज्यसत्ता के निर्माण के लिए कमर कसें. वर्तमान अर्ध–औपनिवेशिक व अर्ध–सामंती भारतीय सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की जगह नवजनवादी व समाजवादी भारत के निर्माण की दिशा में जनयुद्ध के रास्ते आगे बढ़ें.

चूंकि मोदी सरकार जन विरोधी, देशद्रोही व दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग व महिला विरोधी है, अतः हमारी पार्टी देश के तमाम उत्पीड़ित वर्गों व तबकों की जनता, प्रगतिशील–जनवादी–देशभक्त ताकतों, मानवाधिकार संगठनों व व्यक्तियों, वामपंथी ताकतों से अपील करती है कि वे ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवाद एवं उनके नए भारत के खिलाफ व्यापक, संगठित व जुझारु संयुक्त मोर्चे के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं.

(अभय)
प्रवक्ता
केंद्रीय कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)